

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर।

क्रमांक-ए.4( )लेखा / बजट प्लान / आवं / 15-16 /

दिनांक : 04.12.2015

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
चुरू / हनुमानगढ़।

विषय:-अतिरिक्त बजट आवंटन बाबत।  
संदर्भ:-नोडल अधिकारी, एमएनजेवाई (मुख्यालय) की अनौपचारिक टिप्पणी  
क्रमांक 526 दिनांक 04.12.2015


उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपको चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि रु. 30.00  
लाख (अक्षरे राशि रु. तीस लाख मात्र) का निम्नानुसार अतिरिक्त बजट आवंटन लेखाशीर्ष  
2210-06-789-03-01 (आयोजना) के विस्तृत मदों में किया जाता है :-

क्र.सं0	कार्यालय का नाम	Rs. in lacs	
		12-GIA	18-METP
1	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चुरू	10.00	10.00
2	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, हनुमानगढ़	5.00	5.00
	कुल योग :-	15.00	15.00


(अक्षरे राशि रु. तीस लाख मात्र)

नोट:-

- उक्त आवंटित राशि का उपयोग केवल मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की किशान्वृत्ति के लिए ही किया जाना है, अन्य किसी दूसरे कार्यों में उपयोग करने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
- आवंटित राशि के व्यय के संबंध में विभाग के पत्र क्रमांक-ए-4 (1) लेखा/बी. एनपी/15-16/02 दिनांक 06.04.2015 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करावें।
- आवंटित राशि का उपयोग राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम नियम तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

  
वित्तीय सलाहकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-ए.4( )लेखा / बजट प्लान / आवं / 15-16 / 8923 दिनांक : 04.12.2015  
प्रतिलिपि नोडल अधिकारी, एमएनजेवाई (मुख्यालय) की अनौपचारिक टिप्पणी क्रमांक  
526 दिनांक 04.12.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

  
मुख्य लेखाधिकारी(बजट)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर